भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 04B/2020–21

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

देवेन्द्र महतो ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

गिरीधर महतो................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

31.07.2020

विक्रेता :– देवेन्द्र महतो पिता स्व0 नन्दलाल महतो, ग्राम–विजय, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड),जाति–कुर्मी।

क्रेता :– गिरीधर महतो पिता मोहर राम महतो, ग्राम–सितु, थाना–ईचागढ़ जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 09.06.2020 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता गिरीधर महतो पिता मोहर राम महतो, ग्राम–सितु, थाना–ईचागढ़ जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: <u>भूमि का विवरण</u> ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
दुगनी	सरायकेला / 199	392	911	22डी0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 632 दिनांक 09.07.2020 के द्वारा जाँच एवं सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के नाम से नामांतरित भूमि है।
2. बिक्रेता आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास अन्य खाता के विभिन्न खेसराओं में कुल रकवा–2.02 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु आवेदित भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है एवं जाति–'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते है।

लगातार................2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता देवेन्द्र महतो पिता स्व0 नन्दलाल महतो, ग्राम–विजय, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता गिरीधर महतो पिता मोहर राम महतो, ग्राम–सितु, थाना–ईचागढ़ जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–22डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

31/07/2020
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner